



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 800 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 27.08.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ०नि० अवनीश कुमार यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त प्रदीप सोनी पुत्र स्व० सुखनन्दन उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को उसकी दुकान के सामने बने चबूतरे बहद ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से एक पन्नी में 800 ग्राम अवैध गांजा के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया, अभियुक्त के कब्जे से बरामद 800 ग्राम अवैध गांजा के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 223/2022 धारा 8/20 NDPS Act. के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त -

प्रदीप सोनी पुत्र स्व० सुखनन्दन उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० अवनीश कुमार यादव
2. कां० महेन्द्र सिंह यादव
3. कां० महेश कुमार
4. कां० विजय कुमार गुप्ता



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.08.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 श्री नरेशचन्द्र निगम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त श्यामलाल अहिरवार पुत्र स्व रामेश्वर अहिरवार उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम बुढ़ेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को 01 किलो 100 ग्राम सूखे गांजा के साथ थाना क्षेत्रअन्तर्गत ईदगाह के पश्चिम छोर के सामने बुढ़ेरा रोड बहद कस्वा पनवाड़ी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जामातलाशी से एक झोले में 01 किलो 100 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ, इस बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.स. 164/2022 धारा 8/20 एनडीपीएक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. व0उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम थाना पनवाड़ी जिला महोबा
2. हे0का0 रिन्कू तिवारी 3. हे0का0 प्रदीप कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त -

श्यामलाल अहिरवार पुत्र स्व रामेश्वर अहिरवार उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम बुढ़ेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग-

164/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस थाना पनवाड़ी जिला महोबा।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा/जिन्दा कारतूस व पंजीकृत अभियोग में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.08.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर थानाध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी द्वारा गठित की गयी उ0नि0शिवस्वरूप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने थानास्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.स.139/22 धारा 308/342 भादवि का वांछित अभियुक्त नीरज कुशवाहा पुत्र बैजनाथ कुशवाहा को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व पंजीकृत अभियोग उपरोक्त घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (चारपाई का पाया) के साथ बिलखी तिराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 142/22 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई अभियोग पंजीकृत हैं जिनका विवरण अंकित किया गया है

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 शिवस्वरूप सिंह
2. का0 राघवेंद्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त – नीरज कुशवाहा पुत्र बैजनाथ कुशवाहा नि0मु0 मनोहरगंज श्रीनगर

आपराधिक इतिहास –

- 1- मु0अ0स0 230/17 धारा 302 भादवि
2. मु0अ0स0 121/18 धारा 3 यूपी गुन्डा एक्ट
3. मु0अ0स0 06/19 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट
4. मु0अ0स0 170/17 धारा 13 जी एक्ट
5. मु0सिसिन 54/20 धारा 110 सीआरपीसी
6. मु0अ0स0 139/22 धारा 308/342 भादवि
7. मु0अ0स 1142/22 धारा 3/25 A ACT



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध राइफल व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.08.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र व अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री संचालित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना कबरई पुलिस टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब, प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ०नि० दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त कल्याण कुशवाहा पुत्र मन्नू कुशवाहा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरीकाजी थाना कबरई जनपद महोबा को उटिया तिराहा थाना कबरई जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी रायफल .315 बोर चालू हालत व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद हुआ। माल बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 248/2022 धारा 3/25 A ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० दिनेश कुमार सिंह
2. हे०का० रनवीर सिंह तोमर

गिरफ्तार अभियुक्त-

कल्याण कुशवाहा पुत्र मन्नू कुशवाहा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरीकाजी थाना कबरई जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारी व अवैध शस्त्र के तहत थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ.नि. हरिभजन गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना स्थानीय में पंजीकृत मु.अ.स. 256/2022 धारा 41/411/419/420 /467/468/471 भा.द.वि. से संबंधित वांछित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह यादव उम्र 26 वर्ष को थाना क्षेत्रअन्तर्गत पवा चौराहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट कूटरचित UP 95 C 9250 मोटरसाईकिल होण्डा साइन बरामद हुई है तथा मौके से भागा हुआ अभियुक्त शनि पुत्र माजिद राजा नि.मु. नजरबाग कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा का रहने वाला है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयाग किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ.नि. हरिभजन गौतम
2. हे.का.मासूक अली थाना चरखारी महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त :-

रविन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह यादव उम्र 26 वर्ष नि. ग्राम सबुआ थाना चरखारी

बरामदगी :- फर्जी नम्बर प्लेट कूटरचित UP 95 C 9250 मोटरसाईकिल होण्डा साइन

मौके से भागा हुआ अभियुक्त :-

शनि पुत्र माजिद राजा नि. मु. नजरबाग कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा



Shot on OnePlus
By Nilesh Badera



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 28.08.2022 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई द्वारा गठित की गयी उ0नि0 यज्ञनारायण भार्गव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला मोचीपुरा से अभियुक्त राकेश कपाड़िया पुत्र फुल्लू कपाड़िया उम्र 36 वर्ष को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 249/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 यज्ञनारायण भार्गव
2. कां0 विनोद कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश कपाड़िया पुत्र फुल्लू कपाड़िया उम्र 36 वर्ष नि0मु0 मु0 मोचीपुरा (कपरिया मुहल्ला) कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.08.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने 900 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.08.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० रमाकान्त शुक्ल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त हेमन्त श्रीवास पुत्र स्व० नवल किशोर श्रीवास निवासी भीतरकोट थाना कोत.नगर महोबा उम्र 26 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया जिसके कब्जे से **900** ग्राम सूखा गाँजा नाजायज बरामद करते हुये मुकुन्दलाल तिवारी राजकीय इण्टर कालेज गेट के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 373/2022 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

हेमन्त श्रीवास पुत्र स्व० नवल किशोर श्रीवास उम्र 26 वर्ष निवासी भीतरकोट थाना कोत.नगर महोबा

बरामदगी:-

900 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० रमाकान्त शुक्ल प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. हे०का० राजनाथ मिश्रा



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330